-प्रेस नोट-

दिनांक - 14.07.2025

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## सहारनपुर पुलिस द्वारा श्रावण मास/काँवड़ यात्रा-2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देश

➡ अवगत कराना है कि श्रावण मास/काँवड़ यात्रा - 2025 को शांतिपूर्ण व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत आज दिनांक 14.07.2025 को सावन माह के प्रथम सोमावार को जनपद में स्थित सभी शिव मंदिरो में जलाभिषेक हेतु आये श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए समस्त पुलिस अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया व ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

➡ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा काँवड़ियो द्वारा अपने वाहनों पर लाये जाने वाले डीजे की ऊचाईं, चौड़ाई व ध्वनि को लेकर जारी की गयी गाईडलाईन्स का कड़ाई से अनुपालन हेतु हरियाणा व उत्तराखण्ड राज्यो से जनपद सहारनपुर को जोड़ने वाले मार्गों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थापित की गयी है। पुलिस द्वारा डीजे की ऊचाँई 10 फुट व चौड़ाई 12 फुट से अधिक होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए डीजे को सीमावर्ती चैक पोस्ट पर ही तय मानको के अनुसार व्यवस्थित कराकर काँवड़ियो को उनके गंतव्य स्थल की ओर रवाना किया जा रहा है।

➡ सभी काँवड़ मार्गों पर लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की लाईव स्ट्रीमिंग की निगरानी सर्किल क्षेत्राधिकारी व थाना स्तर पर बने कंट्रोल रुम तथा नगर में बने अत्याधुनिक ICCC कंट्रोल रुम के माध्यम से की जा रही है।

➡ काँवड़ यात्रा के दौरान यातायात के सुचारू रुप से संचालन हेतु ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है जिसका सभी मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाले भारी वाहनों को जनपद में रात्रि 12.00 बजे से 3.00 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी गयी है।

➡ काँवड़ मार्गों व शिविरों में काँवड़ियों के लिये AUDIO FILE के माध्यम से स्पीकर में बजवाकर आवश्यक दिशा निर्देशो से अवगत कराया जा रहा है, जिससे सभी श्रद्धालु बताये गये नियमो का शत प्रतिशत पालन करें। ड्रोन कैमरों के माध्य से भी सभी काँवड़ मार्गों की कड़ी निगरानी की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्थानो पर एण्टी रोमियो पुलिस टीम को तैनात किया गया है।

दिनांकः- 14.07.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना सरसावा पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 पब्बे देशी शराब (हरियाणा मार्का) व 15 पाऊच देशी शराब महबूबा (उ0प्र0 मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त विकास पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कुण्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम कुण्डा से पहले बांयी ओर खडंजे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 18 पब्बे देशी शराब हरियाणा मार्का व15 पाऊच देशी शराब महबूबा उत्तर प्रदेश मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 257/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण**- अभियुक्त विकास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हू तथा हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्य की शराब को चोरी छिपे अधिक दामों पर मजदूरो व नशा करने वाले व्यक्तियों को बेच देता हूँ और शराब बेचकर जो पैसे मिलते है उससे मैं अपनी नशे की जरूरतों को पूरा कर लेता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

विकास पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कुण्डी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण**

- 18 पब्बे देशी शराब हरियाणा मार्का तथा
- 15 पाऊच देशी शराब महबूबा उत्तर प्रदेश मार्का

**अभियुक्त विकास उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

01.मु0अ0सं0 59/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
02.मु0अ0सं0 234/2021 धारा 380/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
03.मु0अ0सं0 257/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 251 विदोष कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 1497 मोनू तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

**दिनांक - 14.07.2025**

**-प्रेस नोट-**

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

## थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09.07.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत वादिया के मकान मालिक/अभियुक्त संजीव उर्फ संजय करसानिया पुत्र स्व0 हरिराम निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 153/2025 धारा 65(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता व 5(एम)/6 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनाक 14.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **संजीव उर्फ संजय करसानिया पुत्र स्व0 हरिराम निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

संजीव उर्फ संजय करसानिया पुत्र स्व0 हरिराम निवासी ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 मोनिका यादव, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 731 पोपिन कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. है0का0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

दिनांक- 14.07.2025

-प्रेस नोट-

# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

## थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.07.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **शादाब पुत्र रशीद नि0 हिन्द विहार कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को कलसिया रोड से ग्राम जीवाला को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त **शादाब पुत्र रशीद उपरोक्त** के कब्जे से **01 अवैध चाकू बरामद** हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 149/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं पढा लिखा नही हूँ, जो चाकू पुलिस ने मुझसे बरामद किया है उसे मैं लोगों को डराने एवं रोब गालिब करने लिये अपने पास रखता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

शादाब पुत्र रशीद नि0 हिन्द विहार कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरणः-**

- 01 नाजायज चाकू

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

1. मु0अ0सं0159/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 79/15 धारा 3 यूपी गुन्डा अधिनियम थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. हैड का0 1032 ललित कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 1983 शमशेर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर